प्रतिवादी की ओर
से जवाब दिनांक
9/01/2026 को
पेश है

10/4/26

पत्रावली पेश हुई, वादी अधिवक्ता अनुपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित, ~~न्यायालय~~ प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय मे जवाब प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली है, वादी द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो न्यायालय को प्रार्थी से यह अपेक्षा रहती है की वे न्यायालय मे उपस्थित रहकर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखे, प्रार्थी भी न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र मे कोई रुची नही है,

अत: प्रार्थी की न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से उक्त प्रकरण अदम हाजरी - अदम पेरवी मे इसी स्तर पर खारीज किया जाता है,

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे।